अंग तस्करी और प्रत्यारोपण पर्यटन पर इस्तांबुल घोषणा पत्र

(2018 संस्करण)

प्रस्तावना

अंग प्रत्यारोपण, बीसवीं शताब्दी में चिकित्सा सफलता की महानतम उपलब्धियों में से एक है। दुनिया भर में इसके द्वारा असंख्य रोगियों के जीवन को लंबा और उसमें सुधार किया गया है। अंग दाताओं और उनके परिवारों द्वारा अंग दान के बहुमूल्य योगदान के साथ-साथ, सेवानिष्ठ स्वास्थ्य व्यावसायिकों द्वारा कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और नैदानिक प्रगति ने प्रत्यारोपण को केवल जीवन रक्षा उपचार तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि मानव एक्यभाव (solidarity) का प्रतीक बना दिया है। इन सब उपलब्धियों के बावजूद अंगों की तस्करी, अंग निकालने के उद्देश्य से व्यक्तियों की तस्करी और गरीब और असहाय लोगों के अंगों को खरीदने के प्रयोजनों के लिए विदेशों में यात्रा करने वाले रोगियों द्वारा अंगदान जैसे पवित्र कार्य को कलंकित कर दिया है। 2007 में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि दुनिया भर में प्रत्यारोपण के 10 प्रतिशत मामलों में ऐसे ही मामले शामिल थे [1]।

इन अनैतिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न विकराल समस्याओं से तुरन्त निपटने के लिए, द ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी (TTS) और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलोजी (ISN) द्वारा अप्रैल 2008 में, इस्तांबुल में एक शिखर बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें 151 प्रतिभागियों ने भाग लिया था - जिसमें वैज्ञानिक और चिकित्सा बाडीज़, सरकारी अधिकारी, सामाजिक वैज्ञानिक, और नीतिशास्त्री शामिल थे - और सभी ने इस्तांबुल घोषणा पत्र [2], पर सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति दी थी। आगे चलकर इसे 135 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा समितियों और अंग प्रत्यारोपण में शामिल सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थन किया गया था।

इस्तांबुल घोषणा पत्र, अंग दान और अंग प्रत्यारोपण से जुड़े व्यावसायिकों और उनके सहयोगियों के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रत्यारोपण के लाभों को बिना भेदभाव किये उन सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए, जिन्हें प्रत्यारोपण की सबसे अधिक जरूरत है और ऐसी अनैतिक और शोषण प्रथाओं पर निर्भर करे बिना जिसके अंर्तगत दुनिया भर में गरीब और असहाय वर्ग के लोगों को पहले से ही काफी क्षति पहुंचाई जा चुकी है। इसका उद्देश्य उन सभी व्यावसायिकों और नीति निर्माताओं के लिए नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना है जो अंग दान के इस बहुमूल्य लक्ष्य को साझा करते हैं। इस प्रकार यह घोषणापत्र व्यावसायिक सोसाईटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों, वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाईजेशन [3], द यूनाइटेड नेशंस [4,5], और कांउसिल ऑफ़ यूरोप [6-8], के अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए नैतिक कार्यक्रमों का विकास,

और अंग तस्करी और प्रत्यारोपण पर्यटन को रोकते हुए समर्थन के माध्यम से उनके प्रयासों को पूरा करता है। इन प्रयासों के कारण 2008 से इस दिशा की प्रगति में दुनिया भर के देशों द्वारा काफी योगदान किया गया है।

2010 में TTS और ISN ने घोषणापत्र का प्रसार करने और अंग तस्करी और प्रत्यारोपण पर्यटन के क्षेत्र में नई चुनौतियों का जवाब देने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ़ इस्तांबुल कस्टोडियन ग्रुप (DICG) का सृजन किया था। फरवरी 2018 और मई 2018 के बीच, DICG द्वारा बड़े पैमाने पर घोषणापत्र को अपडेट करने के लिए क्लीनिकल/नैदानिक, कानूनी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में परामर्श कार्यान्वित किये गए थे, जिसमें सभी इच्छुक पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। जुलाई 2018 में मैड्रिड में आयोजित TTS की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान इस परामर्श प्रक्रिया के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया, उनकी समीक्षा की गई और दस्तावेज में निर्धारित किये अनुसार उन्हें अपना लिया गया।

घोषणापत्र को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उसके प्रत्येक सिद्धांत को उन सभी अन्य सिद्धांतों के प्रकाश में लागू किया जाना चाहिए जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ संलग्न टिप्पणी पत्र घोषणापत्र के संदेशों को स्पष्ट और विस्तृत करता है और उनके कार्यान्वयन के लिए आगे अपनाई जाने वाली रणनीतियों के सुझाव भी देता है।

परिभाषाएं

इन दस्तावेज के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ निर्दिष्ट किए हैं।

अंग तस्करी निम्न में से किसी भी गतिविधि में शामिल है:

(ए) बिना वैध सहमति या प्राधिकृति के किसी जीवित या मृत अंगदाता के अंगों को निकालना या अंगदाता और/या किसी तीसरे व्यक्ति को वितीय लाभ या तुलनीय लाभ के बदले अंग निकालना;

(बी) किसी भी तरह से ऐसे अंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, हेरफेर, प्रत्यारोपण या अन्य किसी प्रकार उपयोग करना;

(सी) स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यावसायिकों, सार्वजनिक अधिकारियों या निजी क्षेत्र के किसी यूनिट के कर्मचारी द्वारा किसी भी अनुचित लाभ की पेशकश या ऐसा कोई अनुरोध कर अंगों को निकालने के लिये सुविधा प्रदान करना या उनका उपयोग करना;

(डी) अंगदाताओं से अनुरोध करना या उनकी या अंग प्राप्तकर्ताओं की भर्ती करना, जहां वितीय लाभ या तुलनीय लाभ लिये जाते हैं; या

(ई) उपरोक्त कोई भी काम करना, या सहयोग करना या कमीशन देकर बहकाने का प्रयास करना।[1]

अंग निकालने के उद्देश्य से व्यक्तियों की तस्करी करना - व्यक्तियों की तस्करी के अर्थ में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो किसी व्यक्ति को उसके अंग निकालने के उद्देश्य से धमकी या बल का उपयोग कर या जबरदस्ती या किसी भी तरह का दबाव डालकर, अपहरण, धोखाधड़ी या जालसाजी कर उसकी भर्ती करते हैं, या उसे किसी स्थान पर लाते-ले जाते हैं, स्थानांतरण करते हैं, शरण देते हैं, या अपनी शक्ति और पद का दुरूपयोग कर या पैसा लेकर या देकर या किसी तीसरे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लाभ देते या प्राप्त करते हैं जिसका अंग देने वाले व्यक्ति पर नियंत्रण है।[2]

इस घोषणा के संदर्भ में, **निवासी** शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो नागरिक के रूप में किसी देश में अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, फिर चाहे वह वहां का नागरिक है या नहीं; **गैर-निवासी** शब्द उन सभी लोगों को दर्शाता है जो वहां के निवासी नहीं हैं, इनमें वे सब भी शामिल हैं जो वहां यात्रा पर आए हैं, और अंग प्रत्यारोपण के उद्देश्य से अस्थायी रूप से कथित देश में निवास कर रहे हैं।

प्रत्यारोपण के लिए यात्रा - में प्रत्यारोपण उद्देश्यों के लिए क्षेत्राधिकार[3] सीमाओं में व्यक्तियों का आवागमन है। प्रत्यारोपण प्रयोजन के लिए यात्रा को **प्रत्यारोपण पर्यटन** कहा जाता है, और ऐसी यात्रा को अनैतिक माना जाता है यदि इसमें मानव अंगों को निकालने या तस्करी के उद्देश्य से व्यक्तियों की तस्करी शामिल है, या यदि इसमें कार्यरत संसाधन (अंग, व्यावसायिक और प्रत्यारोपण केंद्र) गैर-निवासी रोगियों को प्रत्यारोपण प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जबकि उनका देश अपनी आबादी के लिए प्रत्यारोपण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।

[1] यह परिभाषा द कांउसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन ट्रैफिकिंग इन हयूमन ओर्गेन्स से ली गई है 2015। [8]

[2]यह परिभाषा प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, स्पेश्ली वीमेन एंड चिल्ड्रन, सप्लीमेंटिंग द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस्नेशनल ओर्गेनाइज़्ड क्राइम 2000 से ली गई है। [4] प्रोटोकॉल प्रदान करता है कि तस्करी करने वाले व्यक्ति की स्वीकृति अप्रसांगिक होगी जहां परिभाषा में यहां बताए अनुसार किसी साधन का प्रयोग किया गया है।

[3]इस घोषणा के संदर्भ में, क्षेत्राधिकार शब्द में सिर्फ राष्ट्र सम्मिलित नहीं हैं बल्कि राज्य, जिले, और औपचारिक रूप से देश, और क्षेत्र या अन्य बड़ी.राष्ट्रीय कानूनी संस्थाएं भी सम्मिलित हैं जिनके पास अंग दान और प्रत्यारोपण नियंत्रित करने के प्राधिकार प्राप्त है।

अंग दान और प्रत्यारोपण में आत्मनिर्भरता का अर्थ देश के भीतर दान किए गए अंग और प्रत्यारोपण सेवाएं और अपने निवासियों द्वारा दान किए गए अंग, या अन्य देशों या अधिकार क्षेत्र के साथ समान रूप से संसाधनों को साझा करके देश की प्रत्यारोपण आवश्यकताओं को पूरा करना है।

अंग दान में वित्तीय तटस्थता का अर्थ यह है कि अंग दाता और उनके परिवार अंग दान के परिणामस्वरूप न तो कुछ खोते हैं और न ही कोई वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं।

सिद्धांत

1. सरकारों को उनकी आबादी की समग्र स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अंग विफलता (organ failure) की रोकथाम और उपचार के लिए नैतिक और नैदानिक ठोस कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करना चाहिए।

2. प्रत्यारोपण नीतियों और कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य अंग दाताओं और प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं की आदर्शतम देखभाल होनी चाहिए।

3. मानव अंगों की तस्करी और अंग निकालने के उद्देश्य के लिए व्यक्तियों की तस्करी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसे एक अपराधी गतिविधि माना जाना चाहिए।

4. अंग दान वित्तीय रूप से बिना किसी भेद भाव का कार्य होना चाहिए।

5. प्रत्येक देश या अधिकार क्षेत्र को मृत और जीवित अंगदाताओं से अंग प्राप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रत्यारोपण के अभ्यास नियंत्रित करने के लिए कानून और विनियमों को विकसित और कार्यान्वित करना चाहिए।

6. प्रत्येक क्षेत्राधिकार में नामित प्राधिकरणों को अंग दान, आवंटन और प्रत्यारोपण प्रथाओं का निरीक्षण करने और उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए ताकि वे उनका पता लगा सकें और उनकी मानकीकरण, पारदर्शिता, गुणवत्ता, सुरक्षा, निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित कर सकें।

7. अंग दान और प्रत्यारोपण सेवाओं के लिये देश के सभी नागरिकों की मृतक अंग दाताओं से प्राप्त किये अंगों को प्राप्त करने की बिना किसी भेदभाव के समान पहुंच होनी चाहिए।

8. प्रत्यारोपण के लिए अंगों को समान रूप से देशों या उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर नैदानिक मानदंडों और नैतिक मानदंडों के निर्देशानुसार, उनके उद्देश्य, बिना भेदभाव किये, बाहरी रूप से न्यायोचित और पारदर्शी नियमों के अनुरूप आवंटित किया जाना चाहिए।

9. स्वास्थ्य व्यावसायिकों और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को अंग तस्करी की रोकथाम करने और अंग निकालने के उद्देश्य से व्यक्तियों की तस्करी, और प्रत्यारोपण पर्यटन को निरूत्साहित करने में सहायता करनी चाहिए।

10. सरकारों और स्वास्थ्य व्यावसायिकों को अपने देश के निवासियों को प्रत्यारोपण पर्यटन में शामिल होने से हतोत्साहित करने और रोकने के लिए कारगर रणनीतियां लागू करना चाहिए।

11. देशों को अंग दान और प्रत्यारोपण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

संदर्भ

1. शिमाजोनो वाई 2007। द स्टेट ऑफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेन ट्रेडः उपलब्ध जानकारियों के एकीकरण पर आधरित अस्थायी पिक्चर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिन, 85(12): 955-962।

2. स्टीयरिंग कमिटी ऑफ इस्तांबुल सम्मिटः अंग तस्करी और प्रत्यारोपण पर्यटन और व्यापारवादः द डिक्लेरेशन ऑफ इस्तांबुल । द लांसेट 2008 जुलाई 5;372(9632):5-6।

3. त्रेसठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा। डब्लूएचओ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ह्यूमन सेल, टिश्यू एंड ओर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, WHA63.22, 21 मई 2010 रिजाल्यूशन में समर्थित किया गया, http://www.who.int/transplantation/en/. पर उपलब्ध है।

4. संयुक्त राष्ट्र महासभा। व्यक्तियों में तस्करी रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पूरक, रिज़ोल्यूशन को 55/25, 15 नवंबर 2000 में अनुमोदित किया गया । http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf. पर उपलब्ध है।

5. संयुक्त राष्ट्र महासभा। अंगों को निकालने और मानव अंगों की तस्करी के उद्देश्य से व्यक्तियों में अंग तस्करी रोकने और मुकाबला करने के लिए अंग दान और प्रत्यारोपण पर प्रभावी उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, रिज़ोल्यूशन को 71/33, 8 सितंबर 2017 को अनुमोदित किया गया, https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/322. पर उपलब्ध है।

6. कॉउंसिल ऑफ़ यूरोप। जीवविज्ञान और चिकित्सा के आवेदन के संबंध में मानव अधिकार और गरिमा की सुरक्षा के लिए सम्मेलनः मानवाधिकार और बायोमेडिसिन पर सम्मेलन (ETS संख्या 164), ओवियडो, 4 अप्रैल 97, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164 पर उपलब्ध है।

7. कॉउंसिल ऑफ़ यूरोप। मानवीय अधिकारों और बायोमेडिसिन पर सम्मेलन के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल मानव उत्पत्ति (ETS संख्या 186), स्ट्रैसबर्ग, 1 मई 2006 के प्रत्यारोपण के संबंध में https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/186 पर उपलब्ध है।

8. कॉउंसिल ऑफ़ यूरोप। मानव अंगों में तस्करी के खिलाफ सम्मेलन (ETS संख्या 216), सैंटियागो डी कंपोस्टेला, 25 मार्च 2015, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/ पर उपलब्ध है।

The DICG Executive Committee would like to thank **The MOHAN Foundation** contribution in translating the 2018 Edition Declaration of Istanbul to Hindi. The MOHAN Foundation is an Endorsement Organisation of the Declaration of Istanbul.